

1[धारा 109 : अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 109 प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

धारा 109 : अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन

- (1) सरकार, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, माल और सेवा कर अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण का गठन करेगी।
- (2) अपील अधिकरण की शक्तियां राष्ट्रीय न्यायपीठ और उसकी न्यायपीठों (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् "प्रादेशिक न्यायपीठें" कहा गया है), राज्य न्यायपीठ और उसकी न्यायपीठों (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् "क्षेत्रीय न्यायपीठें" कहा गया है) द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी।
- (3) अपील अधिकरण की राष्ट्रीय न्यायपीठ नई दिल्ली में स्थित होगी, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और वह एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी।
- (4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में प्रादेशिक न्यायपीठों, जितनी अपेक्षित हों, का गठन करेगी और ऐसी प्रादेशिक न्यायपीठें एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी।
- (5) अपील अधिकरण की राष्ट्रीय न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठें उन मामलों में जहां अन्तर्वलित मुद्दों में एक पूर्ति के स्थान से संबंधित है, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के संबंध में अधिकारिता रखेंगी।
- (6) सरकार, अधिसूचना द्वारा A[.....] प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपील अधिकरण की न्यायपीठ (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "राज्य न्यायपीठ" कहा गया है) विनिर्दिष्ट करेगी :

B[.....]

C[परन्तु यह और कि] सरकार किसी राज्य सरकार से आवेदन की प्राप्ति पर उस राज्य में उतनी संख्या में क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन करेगी जितनी की सिफारिश परिषद् द्वारा की जाए :

D[परन्तु यह भी कि] सरकार किसी राज्य से आवेदन की प्राप्ति पर या किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए स्वप्रेरणा से किसी राज्य के अपील अधिकरण को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए कार्य करने हेतु, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित कर सकेगी।

- (7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट विषयों को अन्तर्वलित करने वाले मामलों से भिन्न मामलों में अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की अधिकारिता राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ को होगी।
- (8) अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी राज्य में, यथास्थिति, प्रादेशिक न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के बीच कारबार या मामलों का वितरण करेंगे।
- (9) अपील अधिकरण की प्रत्येक राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठें, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेंगी और राज्य सरकार किसी राज्य में ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य को राज्य अध्यक्ष के रूप में अभिहित कर सकेगी।
- (10) रिक्ति या अन्यथा के कारण किसी न्यायपीठ में किसी सदस्य की अनुपस्थिति में, यथास्थिति, अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष के अनुमोदन से कोई अपील दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा सुनी जा सकेगी :

परन्तु जहां अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय में अंतर या अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माने, फीस या शास्ति की रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है और जिसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है, अध्यक्ष के अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाएं, अपील की सुनवाई एक सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा की जा सकेगी।

- (11) यदि राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठ, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के सदस्य किन्हीं बिन्दु या बिन्दुओं पर राय में भिन्नता रखते हो तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, यदि बहुमत हो, किन्तु यदि सदस्य समान रूप से विभाजित हैं तो वे उन बिन्दु या बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर उनका मत भिन्न है और मामला राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठ, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के एक या अधिक सदस्यों को, ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर सुनवाई के

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए माल और सेवा कर अपील अधिकरण से ज्ञात एक अपील अधिकरण ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, स्थापित करेगी।
- (2) अपील अधिकरण प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार का प्रयोग उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन गठित प्रधान न्यायपीठों द्वारा किया जाएगा।
- (3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण की नई दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ का गठन करेगी, जो अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी।
- (4) सरकार, राज्य के अनुरोध पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी संख्या में, ऐसे स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता के साथ, जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, राज्य न्यायपीठों का गठन कर सकेगी, जो दो न्यायिक सदस्यों, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी।
- (5) प्रधान न्यायपीठ और राज्य न्यायपीठ अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेंगी :
परंतु ऐसे मामले, जिनमें से कोई एक मुद्दा आपूर्ति के स्थान से संबंधित है, कि अपील प्रधान न्यायपीठ में की जाएगी।

²[परंतु यह और कि धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों का परीक्षण या न्यायनिर्णयन केवल प्रधान न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा :

परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अन्य मामलों या मामलों के वर्ग को

लिए, यथास्थिति, अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर विनिश्चय उन सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिसके अन्तर्गत वे सदस्य सम्मिलित हैं जिन्होंने उसे सबसे पहले सुना था।

- (12) सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, प्रशासनिक सुविधा के लिए निम्नलिखित का स्थानांतरण कर सकेगी,—
 - (क) किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) का, एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में चाहे राष्ट्रीय या प्रादेशिक हो; या
 - (ख) किसी तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य) का एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में चाहे राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राज्य या क्षेत्रीय हो।
- (13) राज्य सरकार, राज्य अध्यक्ष के परामर्श से प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य के भीतर किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) का एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में स्थानांतरण कर सकेगी।
- (14) अपील अधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाहियां अपील अधिकरण के गठन में मात्र किसी त्रुटि या रिक्ति के विद्यमान रहने के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमाम्य नहीं मानी जाएंगी।
 - A वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा शब्द “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया। पूर्व में केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 द्वारा अंतःस्थापित किये गये थे। (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।
 - B वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा परंतु विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया। केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :
“परंतु जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए, इस अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ, जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित राज्य अपील अधिकरण होगा :”
 - C केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 26) “परंतु” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।
 - D केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 26) “परंतु यह और कि” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।
- 2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा परंतु अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

अधिसूचित कर सकेगी, जो केवल प्रधान खंडपीठ द्वारा सुने जाएंगे।

- (6) अध्यक्ष, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, न्यायपीठों के बीच अपील अधिकरण के कारबार का वितरण करेगा और एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में मामलों का अंतरण कर सकेगा।
- (7) राज्य न्यायपीठों के भीतर ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य, जो अधिसूचित किया जाए, ऐसे राज्य न्यायपीठों के लिए उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा और वह अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाए, किन्तु सभी अन्य प्रयोजनों के लिए उसे एक सदस्य ही समझा जाएगा।
- (8) अपीलें, जिसमें अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या जुर्माने, फीस या किसी आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, में अवधारित शास्ति की रकम पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है और जिसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, अध्यक्ष के अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाएं, एकल सदस्य द्वारा सुनी जा सकेगी और अन्य सभी मामलों में, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य द्वारा मिलकर सुनी जाएगी।
- (9) मामले की सुनवाई के पश्चात्, यदि सदस्यों की राय में किसी बिंदु या किन्हीं बिंदुओं पर भिन्नता है तो ऐसे सदस्य ऐसे बिंदु या बिंदुओं का कथन करेंगे, जिन पर वे भिन्नता रखते हैं और अध्यक्ष ऐसे मामले को सुनवाई के लिए,—
- (क) जहां कोई अपील किसी राज्य के भीतर किसी राज्य न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा राज्य न्यायपीठ के अन्य सदस्यों के लिए मूलतः सुनवाई की गई थी, जहां राज्य के भीतर कोई अन्य राज्य न्यायपीठ उपलब्ध नहीं है, अन्य राज्य में किसी राज्य न्यायपीठ के किसी सदस्य को निर्दिष्ट की जाएगी;
- (ख) जहां अपील की सुनवाई मूलतः प्रधान न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा की गयी थी, प्रधान न्यायपीठ के किसी अन्य सदस्य को या जहां ऐसा अन्य सदस्य उपलब्ध नहीं है, किसी राज्यपीठ के सदस्य को,
- निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसे बिंदु या बिंदुओं का बहुमत के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन सदस्यों, जिन्होंने मामले को प्रथम बार सुना था, की राय भी सम्मिलित है।
- (10) सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, प्रशासनिक दक्षता के लिए, सदस्यों को एक न्यायपीठ से अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगी :
- परंतु राज्य न्यायपीठ के किसी तकनीकी सदस्य (राज्य) को केवल उसी राज्य में, जिसमें वह मूलतः नियुक्त किया गया था, राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य न्यायपीठ में अंतरित किया जा सकेगा।
- (11) अपील अधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाही, अपील अधिकरण के गठन में किसी रिक्ती या त्रुटि की विद्यमानता के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी।]